9. The Appropriation Bill relating to the Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2000-2001.	1 Hour
10. The Appropriation Bill relating to the Demands for Grants Excess Grants (Railways) for 1997-98.	1 Hour

The Committee recommended that in order to transact Government Business, the lunch hour may be dispensed with during the remaining part of the current Session, as and when necessary.

The Committee also recommended that the sitting of the Rajya Sabha fixed for Monday, the 14th August, 2000, be cancelled.

STATEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): I beg to announce that Government business in this House for the next week will consist of -

1. Consideration and passing of the following Bills:-

   (a) The Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 2000.

   (b) The Multimodal Transportation of Goods mendment) Bill, 2000.

   (c) The Passport (Entry into India) Amendment Bill, 2000.

   (d) The Indian Boilers (Amendment) Bill, 1994.

   (e) The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1994.

   (f) The Border Security Force (Amendment) Bill, 2000, as passed by Lok Sabha.

   (g) The Constitution (Eighty-sixth Amendment) Bill, 1999.

   (h) The Constitution (Eighty-eighth Amendment) Bill, 1999.

2. Consideration and passing of the State Financial Corporations (Amendment) Bill, 2000, as passed by Lok Sabha.

THE PASSPORT (ENTRY INTO INDIA) AMENDMENT BILL, 2000

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Passport (Entry into India) Act, 1920.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, I introduce the Bill.

THE BIHAR REORGANISATION BILL, 2000 -*Contd.*

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले, अपना वक्तव्य शुरू करने के पहले मैं आपसे और सदन के अन्य जो मंत्रीगण यहां बैठे हैं उनसे क्षमा चाहूंगी कि रेटिना आपरेशन के कारण मैं अभी भी नजरें उठाकर बात नहीं कर सकूंगी। वैसे भी इस पुनर्गठन विधेयक पर बातें करते समय नजरें झुकाकर ही बात करना अच्छा है।

आज हम यहां जिस संवेदनशील मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं, खास करके देश के एक बड़े भूभाग बिहार में रहने वालों के लिए तो यह बड़ा ही गंभीर मसला है। जन्म भूमि और कर्म भूमि दोनों में बंगाल है फिर भी यू.पी. और बिहार में कहीं मेरा मायका है, कहीं मेरी ससुराल है। इसलिए मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिए खास तौर से कहा गया है। महोदय, बिहार में ससुराल है, यू.पी. में मायका है।

महोदय, हमारी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) कभी छोटे राज्यों के निर्माण के समर्थन में नहीं रही है। इसी कारण न हम वनांचल का समर्थन कर पाए हैं न उत्तरांचल का, न ही झारखंड का जिस पर आज चर्चा चल रही है।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): दोनों से रिश्ता छोड़ दिया?

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : आप लोग तुड़वा दे रहे हैं। न तो यह बिहार की आम जनता की भलाई में होगा न पूरे राष्ट्र के हित में, न खुद दक्षिणी बिहार के हित में। यहां की जनता बहुत बड़े पैमाने पर शोषण का शिकार है, दलित, वंचित, गरीब है। आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ी है। यह पुनर्गठन विधेयक किसी रूप में उनके हित में नहीं है।